



उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।
बंदोवस्ती केन्सीलेशन केश नं०-45/2010-11

अंचल अधिकारी, गोड्डा

बनाम्

मुकेश कुमार सैनिक

—: आदेश :—

नांक। 01/10/2010

विज्ञ सरकारी वकील एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान वाद अंचल अधिकारी, गोड्डा के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अंचल अधिकारी, गोड्डा के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 33 के तहत बंदोवस्ती वाद सं०-211/1995-96, जिसके द्वारा मुकेश कुमार सैनिक, पे०-अतुल कुमार दास, सा०-रामनगर, गोड्डा, थाना+जिला-गोड्डा के साथ मौजा-सिकटिया के गैरमजरूआ खाता नं०-20, दाग नं०-8, 287 के अन्तर्गत कुल रकवा 02.00 (दो) एकड़ जमीन की बंदोवस्ती को रद्द करने के लिए अनुशंसा करते हुए बंदोवस्ती को रद्द करने के लिए प्रस्ताव अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को समर्पित किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा विपक्षी मुकेश कुमार सैनिक को कारण-पृच्छा दाखिल करने के लिए नोटिश निर्गत किया गया। विपक्षी को कारण-पृच्छा एवं अपना पक्ष दाखिल करने के लिए युक्तियुक्त अवसर दिया गया। विपक्षी की ओर से कारण-पृच्छा दाखिल करने के उपरांत अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा अंचल अधिकारी, गोड्डा से प्राप्त प्रस्ताव पर संतुष्ट होकर बंदोवस्ती को रद्द करने के लिए अनुशंसा किया गया है। वर्तमान वाद में भी अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में विपक्षी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए नोटिश निर्गत किया गया। विपक्षी की ओर से लिखित बहस दाखिल किया गया है।

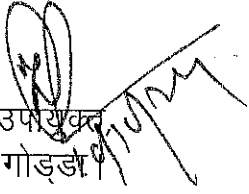
विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता एवं विज्ञ सरकारी वकील को सुना।

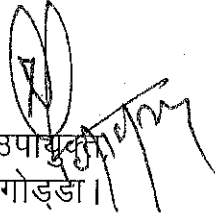
विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षी भारतीय वायु सेना में वायु सैनिक है एवं उन्हें संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 28 के तहत बंदोवस्ती के लिए विशेषाधिकार प्राप्त है तथा उसी के तहत विपक्षी के साथ मौजा-सिकटिया, गैरमजरूआ खाता

नं०-20, दाग नं०-08, 287 के अन्तर्गत रकवा 02.00 (दो) एकड़ जमीन की बंदोवस्ती अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के बंदोवस्ती केश नं०-211/1995-96 के द्वारा की गयी है एवं रा०वि० वाद सं०-102/96-97 के द्वारा बंदोवस्त जमीन पर दखल दिहानी दिलाया गया है तथा विपक्षी के द्वारा बंदोवस्त जमीन का मालगुजारी रसीद भी कटाया गया है। बंदोवस्ती के बाद विपक्षी बंदोवस्त जमीन का जोत आबाद प्रारम्भ कर दिया एवं उसके बाद कभी भी उक्त बंदोवस्त जमीन को बिना जोते नहीं छोड़ा है। इस प्रकार विपक्षी के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 33 का उल्लंघन नहीं किया गया है एवं इसके पूर्व मौजा के किसी रैयत के द्वारा बंदोवस्ती के विरुद्ध संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 32 एवं 33 के तहत बंदोवस्ती के विरुद्ध आपत्ति नहीं किया गया है। उनका आगे कथन है कि बंदोवस्ती जमीन के अलावे विपक्षी को कोई कृषि योग्य जमीन नहीं है। विपक्षी भूमिहीन है एवं उक्त बंदोवस्त जमीन के नजदीक विपक्षी का आवासीय मकान अवस्थित है तथा उक्त जमीन पर कुर्ची का खेती किया था और चूँकि अंचल अधिकारी, गोड्डा ने 16 वर्षों के बाद बंदोवस्ती को रद्द करने के लिए अनुशंसा किया है। ऐसी परिस्थिति में विपक्षी वायु सैनिक होने के नाते उनके साथ की गयी बंदोवस्ती को रद्द नहीं किया जाय। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के प्रस्ताव को अस्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा-सिकटिया, गैरमजरूआ खाता नं०-20, दाग नं०-08, 287 की जमीन गत सर्वे खतियान में परती कदीम कहकर दर्ज है। उक्त दाग नं०-08, 287 के अंदर रकवा 02.00 (दो) एकड़ जमीन विपक्षी मुकेश कुमार सैनिक के साथ बंदोवस्ती केश नं०-211/1995-96 के द्वारा बंदोवस्त की गयी थी। उक्त बंदोवस्त जमीन को विपक्षी के द्वारा जोत आबाद नहीं किये जाने के कारण अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 33 के तहत बंदोवस्ती को रद्द करने के लिए अनुशंसा किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा का निष्कर्ष है कि जोत आबाद करने का कोई साक्ष्य स्थल पर नहीं था। वर्तमान वाद में भी विपक्षी की ओर से बंदोवस्त जमीन का जोत आबाद का कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि विपक्षी के द्वारा बंदोवस्त जमीन का जोत आबाद नहीं किया गया है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा से प्राप्त प्रस्ताव पर संतुष्ट होकर संधाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 33 के तहत विपक्षी मुकेश कुमार सैनिक के साथ मौजा-सिकटिया, गैरमजरुआ खाता नं०-20, दाग नं०-08, 287 रकबा 02.00 (दो) एकड़ जमीन जो अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के बंदोवस्ती केश नं०-211/1995-96 के द्वारा बंदोवस्त की गयी थी, को रद्द किया जाता है। आदेश की प्रति अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को भेजे।
लिखाया एवं शुद्ध किया।


उपायुक्त
गोड्डा।


उपायुक्त
गोड्डा।